स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

(चिकित्सा भंडार संगठन)

.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो (फार्माशिष्ट-सह-क्लर्क) भर्ती नियम, 1983" उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो (मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, करनाल, गुवाहाटी, दिल्ली एवं कोलकाता) के अंतर्गत चिकित्सा भंडार संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में फार्माशिष्ट-सह-क्लर्क के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फार्माशिष्ट-सह-क्लर्क, सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो भर्ती नियम, 2017 है ।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान :-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है । उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,
6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
7. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो के अंतर्गत फार्माशिष्ट-सह-क्लर्क हेतु भर्ती नियम

1.	पद का नाम	फार्माशिष्ट-सह-क्लर्क
2.	पदों की संख्या	49* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय
4.	वेतनमान	7वां वेतन आयोग, वेतन लेवल -5
5.	चयन अथवा अचयन पद	लागू नहीं
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	21-28 वर्ष 1. केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष) । <u>टिप्पण</u> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	<u>अनिवार्य अर्हता</u> 1. 10+2. 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा। 3. संबन्धित राज्य फार्मेसी काउंसिल के साथ फार्माशिष्ट के रूप में पंजीकृत.

8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	दो वर्ष
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	100% सीधी भर्ती द्वारा
11	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	लागू नहीं
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :- (i) उप सहायक महानिदेशक (चिकित्सा भंडार) - अध्यक्ष (ii) डिपो प्रबन्धक/सहायक डिपो प्रबन्धक - सदस्य (iii) सहायक डिपो प्रबन्धक /लेखा अधिकारी (iv) स्थान पर अवस्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के बाहर का अधिकारी - सदस्य टिप्पण: उप सहायक महानिदेशक (चिकित्सा भंडार) की अनुपस्थिति में, डीपीसी संबन्धित डिपो के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के साथ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा संसूचित करने पर कार्यालय प्रमुख को सौंपी जाएगी ।

13	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं।

क्रम संख्या 2 में इंगित पद की विस्तृत जानकारी।

सरकारी चिकित्सा सामग्री डिपो, कोलकाता	सरकारी चिकित्सा सामग्री डिपो, मुंबई	सरकारी चिकित्सा सामग्री डिपो, नई दिल्ली	सरकारी चिकित्सा सामग्री डिपो, चेन्नई	सरकारी चिकित्सा सामग्री डिपो, हैदराबाद	सरकारी चिकित्सा सामग्री डिपो, गुवाहाटी	सरकारी चिकित्सा सामग्री डिपो, करनाल	कुल
10	11	3	14	5	0	6	49